

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 295]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2024—आश्विन 18, शक 1946

### नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2024

अधि. क्र. 08 एफ 1-16-2021-अठारह-3.— मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 308-क, के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 187-क, के साथ पठित धारा 355 तथा 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 04-एफ-1-16-2021-अठारह-3, दिनांक 13 मार्च 2024 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, परंतुक में, अंक तथा शब्द "31 अगस्त, 2024" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 2024" स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2024

क्र. एफ 1-16-2021-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड-3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 08 एफ 1-16-2021-अठारह-3, दिनांक 10 अक्टूबर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव,

Bhopal, the 10<sup>th</sup> October 2024

Noti. No. 08 F 1-16-2021-XVIII-3.- In exercise of the powers conferred by Section 308-A read with Sections 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 187-A read with Section 355 and 356 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification No. 04-F-1-16-2021-XVIII-3, date 13<sup>th</sup> March 2024, namely:-

### AMENDMENTS

In the said notification, in the proviso, for the figures and word "31<sup>st</sup> August, 2024", the figures and word "31<sup>st</sup> December, 2024" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.